

**FORM-I**  
(for linear projects)  
Government of .....  
Office of the District Collector .....

No. ....

16(1)

Dated.....

16.11.19

**TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.075 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of U.T.S. (name of user agency) for 0.11.7 (purpose for diversion of forest land). Dehmlu district falls within jurisdiction of Lodhna village(s) in Dehmlu tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire .... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ..... annexure.....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.



Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

## FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of .....

Office of the District Collector .....

\*\*\*\*

No. ....

16(2)

Dated ..... 16.11.19

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 71-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.075 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of U.T. (name of user agency) for O.H.T. (purpose for diversion of forest land) in Behma district falls within jurisdiction of Bulma village(s) in Behma Tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire ... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ..... annexure .....
- the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of ..... villages(s) is enclosed as annexure ... to annexure.....
- the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50 % of the members of Gram Sabha present;
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl. As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

Signature

जिलाधिकारी  
बेहरादून।



OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT.....Dehradun.....(UK)

Preceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of D.Dm district constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. /Mrs. /Miss.....

Deputy commissioner.....on dated.....13.11.19.....at time.....at.....which application claiming rights in.....area measuring 0.075 ha for the construction of.....D.H.T.....

Forest land under FAR, 2006 if the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of..... Sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny if the documents and detailed discussions, no objection /claims were found have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:.....Dehradun.....

Dated:.....16.11.19.....

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District level committee

Signature  
जिलाधिकारी  
देहरादून

# कार्यालय – जिलाधिकारी, देहरादून।

जनपद— देहरादून


दिनांक –

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त:-

दिनांक 13.11.19 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद-देहरादून में मसूरी वन प्रभाग के रायपुर रेंज अन्तर्गत विकास खण्ड रायपुर में 524/510/11414 के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.075 है० आरक्षित वन भूमि का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस हेतु 0.075 है० वन भूमि वन विभाग से 324/110/11414 देहरादून को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभा /ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी देहरादून की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 0.075 है० आरक्षित वन भूमि जो कि वन विभाग के रायपुर रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उप जिलाधिकारी देहरादून की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

()  
जिला समाज कल्याण अधिकारी  
देहरादून

()  
(कहकशां नसीम)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

()  
जिलाधिकारी  
देहरादून

प.सं० 16(3) / दिनांक 16.11.19

प्रतिलिपि – देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी  
देहरादून



कार्यालय – उप जिलाधिकारी, देहरादून।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, देहरादून।

उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के मसूरी वन प्रभाग की रायपुर रेंज के अन्तर्गत विकास खण्ड रायपुर में ..... के निर्माण हेतु अपेक्षित ..... है। आरक्षित वन भूमि का ..... देहरादून / प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-देहरादून) की दिनांक 01/09/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ..... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री कमलेश मेहता उप जिलाधिकारी ..... अध्यक्ष।
2. श्री के. पी. सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी ..... सदस्य।
3. श्री मनोज कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी ..... सदस्य।
4. श्री नरेश रावत बी.डी.ओ. सी.ओ. क्षेत्र ..... सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मसूरी वन प्रभाग के रायपुर रेंज अन्तर्गत प्रस्तावित ..... के निर्माण हेतु अपेक्षित ..... है। आरक्षित वन भूमि का ..... / प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी (देहरादून) मसूरी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के अन्तर्गत मसूरी वन प्रभाग के रायपुर रेंज अन्तर्गत प्रस्तावित ..... के निर्माण हेतु अपेक्षित ..... है। आरक्षित वन भूमि का ..... देहरादून / प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील.....

जनपद.....

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

तहसील.....

जनपद.....

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम—वार्ड- 65, डोभाल चौक

तहसील—देहरादून

जिला—देहरादून

उत्तराखण्ड में जनपद—देहरादून के विकास खण्ड रायपुर के मसूरी वन प्रभाग की रायपुर रेंज के अन्तर्गत उधवाचर जलाशय के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.075 है० आरक्षित वन भूमि का 30.510 रायपुर देहरादून /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा दिनांक 10-08-15 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त सिविल सोयम भूमि (जंगल —झाड़ी) वन स्वरूप भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रायपुर के ग्रामवासियों को उक्त आरक्षित वन भूमि को 30.510 रायपुर देहरादून /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०

ग्राम सचिव  
मुहर सहित

ह०

ग्राम प्रधान  
मुहर सहित

